आयुक्त के निरीक्षण के दौरान नाली में कचरा डालते पाया, पहले साफ कराया उसके बाद फाइन लगा

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र आज निरीक्षण के दौरान आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने देखा कि किराना दुकान के सामने एवं अन्य दुकान के सामने नाली में कचरा डाला गया है ।प्लास्टिक पानी का गिलास, कुरकुरे, चिप्स, गुटका, पान का रैपर आदि का हाथ के पैकेट पानी पाउच नाली में पड़ा था।। जो उसे दुकानदार द्वारा बेचे गए ग्राहकों द्वारा फेंका गया था। वह अपने दुकान के सामने डस्टबिन भी नहीं रखा था। आयुक्त पहले सब साफ करवाये, उसके बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। जोन क्रमांक 01 अंतर्गत नाली में कचरा डालने एवं प्रतिष्ठान में डस्टबिन नहीं पाये जाने वालो पर कार्यवाही की गई। वार्ड क्रं. 17 नेहरू भवन एवं वार्ड क्रं 18 कान्ट्रेक्टर कालोनी क्षेत्र का निरीक्षण किये। निरीक्षण के दौरान दुकानदार संचालको द्वारा सिगलयूज प्लास्टिक रखने एवं अनुज्ञप्ति लाईसेंस नहीं रखने वालो पर कार्यवाही की गई। प्रमुख रूप से शासकीय उचित मूल्य दुकान, राजकुमार साहू, आकाश कुमार गुप्ता, अर्जुन साव, देव टेलर्स एवं रूखमणी देवी वालो पर चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 4600 रूपये अर्थदण्ड वसूला गया। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने अधिकारियो को निर्देश दिए है, कि जो भी व्यापारी सिंगलयूज प्लास्टिक में खादय सामग्री विक्रय कर रहे है या व्यवसाय परिसर, फल ठेला के आस–पास गंदगी फैला रहे है या फिर गीला एवं सूखा कचरे को अलग–अलग डस्ट बिन में नही डाल रहे है। उनके पास जाकर उनसे चालानी कार्यवाही कर अर्थदण्ड वसूला जाए। व्यापारियो को बार–बार समझाइस देने के बाद भी कचरा पृथक कर नहीं दे रहे है एवं सिंगलयूज प्लास्टिक पर खादय पदार्थ बेच रहे है, और शहर की साफ–सफाई में जो व्यापारी सहयोग नही कर रहे है। उन पर अर्थदण्ड की कार्यवाही लगातार की जा रही है। कार्यवाही के दौरान जोन प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, कमलेश द्विवेदी, संतोष हरमुख आदि उपस्थित रहे।